मुख्यमंत्री राहत कोष

••• बिहार •••

न्यासी पर्षद की 17वीं बैठक

दिनांक : 23—01—2018

कार्यवाही

क्र0 सं0	प्रस्ताव	न्यासी पर्षद का निर्णय
1.	विगत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	सम्पुष्ट किया गया।
2.	विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।
3.	दिनांक 25.04.2015 एवं 12.05.2015 को आये भूकम्प में सिवान जिला की रहनेवाली तारा देवी रौनियार, पति–श्री चितरंजन साह, ग्राम–खाप धनौती (नवादा), पो0+थाना–रघुनाथपुर, जिला–सिवान की मृत्यु होने के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 700/आ0प्र0, दिनांक 16.11.2016 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मृतका के पति श्री चितरंजन साह को अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 4.00 लाख (चार लाख) रूपये मात्र की राशि विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–473113 दिनांक 14.12.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान को भेजा गया, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
4.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4513, दिनांक–21.10.2016 के द्वारा वर्ष 2016–17 में विमुक्त होने वाले बाल श्रमिकों की संभावित संख्या 700 के विरूद्ध अधियाचित **कुल 1.75 करोड़ मात्र** की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–473096 दिनांक 08.12.2016 द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत। न्यासी पर्षद द्वारा निर्देश दिया गया कि चूँकि इस संबंध में पहले से ही सैद्धांतिक स्वीकृति है और सदस्य–सचिव प्रति वर्ष राशि भुगतान हेतु प्राधिकृत हैं, अतः भविष्य में इस विषय को सिर्फ सूचनार्थ रखा जाय
5.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2962, दिनांक–24.05.2017 के द्वारा वर्ष 2017–18 में विमुक्त होने वाले बाल श्रमिकों की संभावित संख्या 700 के विरूद्ध अधियाचित **कुल 1.75 करोड़ मात्र** की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–470604 दिनांक 29.05.2017 द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत। न्यासी पर्षद द्वारा निर्देश दिया गया कि चूँकि इस संबंध में पहले से ही सैद्धांतिक स्वीकृति है और सदस्य–सचिव प्रति वर्ष राशि भुगतान हेतु प्राधिकृत हैं, अतः भविष्य में इस विषय को सिर्फ सूचनार्थ रखा जाय
6.	वर्ष 2016 में भीषण बाढ़ से प्रभावित निम्नांकित बारह जिलों में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान राहत शिविर में रह रहे व्यक्तियों को बर्तन (थाली/छिपली, ग्लास, कटोरा) देने, कपड़ा देने एवं इस दौरान राहत शिविर में लड़के एवं लड़कियों के जन्म पर क्रमशः रू0 10,000/– (दस हजार) हजार एवं रू0 15,000/–(पन्द्रह हजार) हजार की राशि देने की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गयी। तत्पश्चात् जिलों द्वारा भेजे	स्वीकृत।

गये मांग पत्र के आधार पर संबंधित जिला पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर भेजी गयी राशियों की विवरणी निम्नानुसार है:–

क्र० सं०	जिला पदा०	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	भागलपुर	473007/18.11.16	10,15,000/-
	भागलपुर	473025/22.11.16	43,59,603/-
2.	कटिहार	473084/01.12.16	17,15,000/-
3.	खगड़िया	470012/06.01.17	3,61,233/-
		कुल राशि	74,50,836/-

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

7. दिनांक 19.11.2016/20.11.2016 को कानपुर के पास पुखरायाँ में इन्दौर–पटना एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में बिहार राज्य के मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को प्रति मृतक रू0 2.00 लाख (दो लाख रूपया) एवं गंभीर रूप से घायल प्रति व्यक्ति को रू0 50,000/–(पचास हजार रूपया) की दर से अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा की गयी ।

तत्पश्चात् जिलों द्वारा भेजे गये मांग पत्र के आधार पर संबंधित जिला पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर भेजी गयी राशियों की विवरणी निम्नानुसार है:–

क्र० सं०	जिला पदा०	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	भोजपुर	473059/24.11.16	2,50,000/-
2.	बेगूसराय	473058/24.11.16	2,00,000/-
3.	पटना	473057/24.11.16	35,50,000/-
4.	रोहतास	473056/24.11.16	2,00,000/-
5.	सिवान	473055/24.11.16	6,00,000/-
6.	पूर्वी चम्पारण	473054/24.11.16	2,50,000/-
7.	समस्तीपुर	473053/24.11.16	2,00,000/-
8.	कटिहार	473052/24.11.16	10,00,000/-
9.	बक्सर	473051/24.11.16	2,00,000/-
10.	शेखपुरा	473050/24.11.16	2,00,000/-
11.	नालंदा	473049/24.11.16	2,00,000/-
12.	मुंगेर	473048/24.11.16	2,00,000/-
13.	गया	473047/24.11.16	4,00,000/-
14.	लखीसराय	473046/24.11.16	2,50,000/-
15.	वैशाली	473045/24.11.16	50,000/-
		कुल राशि	77,50,000/-

स्वीकृत।

	इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	
8.	दिनांक 21.01.2017 को आंध्र प्रदेश के कुनेरू में हिराखण्ड एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ी के टक्कर से हुई भीषण रेल दुर्घटना में बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को प्रति मृतक रू0 2.00 लाख (दो लाख रूपया) एवं गंभीर रूप से घायल प्रति व्यक्ति को रू0 50,000/-(पचास हजार रूपया) की दर से कुल सात मृतक के आश्रितों एवं दो घायल व्यक्तियों को **कुल 15.00 लाख (पन्द्रह लाख)** रूपया मात्र का भुगतान करते हुए भुगतेय राशि का समायोजन हेतु जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-40/आ0प्र0, दिनांक 27.01.2017 द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुरोध के आलोक में इस सचिवालय के पत्रांक-470244 दि0 30.01.2017 के द्वारा अधियाचित राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
9.	जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्र सं0-शून्य/कैम्प, पटना, दिनांक 19.07.2013 एवं पत्रांक-556/आ0प्र0, दिनांक 11.11.2013 के आलोक में वर्ष 2013 की बाढ़ में मृत मो0 आलम उर्फ मोहन के निटकतम आश्रिता को भुगतान हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत अनुग्रह अनुदान की राशि रू0 50,000/- का डी0डी0 इस सचिवालय के पत्रांक-470841 दिनांक 07.04.2014 द्वारा भेजा गया था, जिसे मृतक के आश्रिता के विवाद का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-301/आ0प्र0, दिनांक 30.06.2014 द्वारा लौटा दिया गया था। लौटाये गये डी0डी0 की राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष के बचत खाता में जमा करा दिया गया था। सम्प्रति जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्र सं0-39/आ0प्र0, दिनांक 13.01.2017 द्वारा मृतक के आश्रिता का निर्णय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अररिया के न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2014 को श्रीमती जुमनी को मृतक की आश्रिता पत्नी घोषित किये जाने की सूचना देते हुए पूर्व में लौटाये गये राशि को पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त अद्यतन अनुरोध पत्र के आलोक में वर्ष 2013 की बाढ़ में मृत स्व0 मो0 आलम उर्फ मोहन, पिता-जमील उर्फ टिल्लू, सा0-ककुरबा बस्ती, वार्ड नं0-29, जिला-अररिया की आश्रिता पत्नी जुमनी को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु कुल **रू0 50,000/-(पचास हजार)** रूपये मात्र की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक-470258 दिनांक 02.02.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया को भेजा गया, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।

10.	दिनांक 14.01.2017 को सब्बलपुर दियारा में नाव दुर्घटना में बिहार राज्य के बाहर के मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को रू0 4.00 लाख (चार लाख रूपया) प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान देने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दी गयी है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–867/आ0प्र0 दिनांक 24.03.2017 के साथ संलग्न दिनांक 23.02.2017 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका संख्या–2 एवं जिला पदाधिकारी, पटना से प्राप्त पत्रांक–454/आ0प्र0, दिनांक 10.04.2017 के आलोक में बिहार राज्य के बाहर के मृत कुल 02 मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की देय राशि के भुगतान/समायोजन हेतु कुल 8.00 लाख/– (आठ लाख) रू0 मात्र की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–470476 दिनांक 13.04.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को भेजा गया, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
11.	दिनांक 16.07.2017 को अमरनाथ यात्रा के क्रम में जम्मू क्षेत्रान्तर्गत हुई बस दुर्घटना में बिहार राज्य के तीर्थयात्रियों की मृत्यु एवं घायल होने के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा मृतक के आश्रितों को रू0 4.00 लाख एवं घायल व्यक्तियों को रू0 50,000/– की दर से अनुग्रह अनुदान के भुगतान की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा के आलोक में दानापुर अंचल के छः मृतक के आश्रितों एवं दो घायल व्यक्तियों को **कुल 25.00 लाख** का भुगतान सहित घायल व्यक्ति के संबंधी को जम्मू भेजने में वायुयान का किराया, गाड़ी सजावट/फूल माला/सफेद चादर एवं परिवहन व्यय मद में रू0 53,146/– **अर्थात कुल रू0 25,53,146/–** की व्ययगत राशि के समायोजन हेतु जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक– 913/आ0प्र0 दिनांक 27.07.2017 के आलोक में कुल अधियाचित राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–470788 दिनांक 02.08.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
12.	माह दिसम्बर 2017 में लक्षद्वीप में आये चक्रवात **'ओखी'** से प्रभावित नागरिकों के राहत एवं पुनर्वास हेतु माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के निर्देशानुपालन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को मुख्य मंत्री राहत कोष, बिहार से आर्थिक सहायता हेतु कुल 1.00 करोड़ (एक करोड़) रूपये की राशि विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–471120 दिनांक 04.12.2017 द्वारा बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।

13.	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्र सं0–454 दिनांक 03.11.2017 द्वारा अगस्त, 2017 में बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराने हेतु स्टील थाली एवं स्टील गलास के क्रय में व्यय होने वाली राशि 1,95,110/–रू0 तथा निष्क्रमन के दौरान नाव/राहत शिविर/अस्पताल में जन्म लेने वाले कुल 2 बालिका एवं 1 बालक के लिए व्यय राशि 40,000/–रू0 आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित मानदर के आलोक में कुल **2,35,110/–रू0 (दो लाख पैंतीस हजार एक सौ दस)** रूपये मात्र की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–471168 दिनांक 20.12.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
14.	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3650 दिनांक 08.12.2017 द्वारा बाढ़ आश्रय स्थल निर्माण हेतु जिलावार बाढ़ प्रभावित पंचायतों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। उक्त निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11583 दिनांक 26.12.2017 द्वारा प्रति आश्रय स्थल निर्माण हेतु आकलित राशि रू0 1,00,13,000/–(एक करोड़ तेरह हजार) है **(पताका 'ग')**। प्राथमिकता के आधार पर जिला पदाधिकारी से जमीन की उपलब्धता का प्रतिवेदन प्राप्त कर कुल 100 बाढ़ प्रभावित पंचायतों में, जहाँ पहले जमीन उपलब्ध होगा, रू0 1,00,13,000/–(एक करोड़ तेरह हजार) प्रति आश्रय स्थल की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल रू0 1,00,13,00,000/–(एक अरब तेरह लाख) की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सकती है। मांग के आधार पर राशि विमुक्ति हेतु सदस्य सचिव, मुख्यमंत्री राहत कोष को प्राधिकृत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद का अनुमोदन प्रार्थित है।	स्वीकृत। निर्णय हुआ कि बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण हेतु राशि आपदा प्रबंधन विभाग को हस्तांतरित की जाय, जहाँ विभाग द्वारा इस कार्य हेतु अलग मद बनाकर योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
15.	मुख्यमंत्री राहत कोष के लेखा के सुव्यवस्थित संधारण हेतु तथा पारदर्शिता के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2016–17 तक कुल 12 वर्षों का विशेष आंतरिक अंकेक्षण का कार्य न्यूनतम कोटेशन दर के आधार पर चयनित कर निबंधित चार्टड एकाउन्टेंट एस. के. पटौदिया एण्ड एसोसिएट्स द्वारा कराया गया है। चार्टड एकाउन्टेंट फर्म द्वारा दिए गये सुझावों **(पताका 'घ')** के आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष के लेखा को अकांउटिंग स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त अवधि हेतु किये गये अंकेक्षण पश्चात् प्रति वर्ष 25000/–रू0 तथा GST 18% की राशि 4500/–रू0 अतएव कुल 29,500/–रू0 की दर से कुल 3,54,000/–रू0 (तीन लाख चौवन हजार) का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है। साथ ही द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 1971–72 से 2004–2005 तक के	प्रथम प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। द्वितीय प्रस्ताव पर निर्णय हुआ कि वित्तीय वर्ष 1971–72 से 2004–05 तथा भविष्य में वार्षिक आंतरिक अंकेक्षण वित्त विभाग द्वारा मनोनीत चार्टड एकाउन्टेंट से कराया जाय, जिसका भुगतान कार्योपरांत राहत कोष से किया जायेगा।

	विशेष आंतरिक अंकेक्षण हेतु सीमित निविदा के अन्तर्गत छः फर्मों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर चयनित निबंधित चार्टड एकाउन्टेंट टिबरेवाल चंद एण्ड कम्पनी द्वारा कार्य कराये जाने तथा उनके द्वारा समर्पित दर प्रतिवर्ष 24,250/–रू0 (GST रहित) की दर से 34 वर्षों के अंकेक्षण कार्य के पश्चात् कुल 8,24,500/–रू0 GST रहित (आठ लाख चौबीस हजार पाँच सौ) का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद का अनुमोदन प्रार्थित है।	
16.	मुख्य मंत्री राहत कोष की लेखा में प्राप्त राशि, वितरित राशि एवं शेष जमा राशि के प्रतिवेदन का उपस्थापन।	प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।
17.	न्यासी पर्षद की दिनांक 18.10.2016 को 16वीं बैठक के पूर्व शेष अनुमोदित आवेदनों के आलोक में स्वीकृत राज्य के **43** (तैंतालिस) निर्धन–सह–मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रदान की गयी **कुल 8,75,180/–रूपये** की आर्थिक सहायता की सूचना न्यासी पर्षद को दी गयी।	न्यासी पर्षद द्वारा सूचना ग्रहण किया गया।

ह0/–
(चंचल कुमार)
सदस्य–सचिव, न्यासी पर्षद,
मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार।

ज्ञापांक–सा0–480/2013–4700084**/मु0मं0स0, पटना, दिनांक –**30/01/2018
प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, पटना।
2. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव, पटना।
3. मुख्य सचिव, बिहार, पटना।
4. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
5. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना।
6. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
7. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
8. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
9. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
10. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
11. प्रधान सचिव के आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।

25/1/18
(चंचल कुमार)
सदस्य–सचिव, न्यासी पर्षद,
मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार।